विचार बिन्दु

कलियुग में रहना है या सतयुग में यह तुम स्वयं चुनो, तुम्हारा युग तुम्हारे पास है। –विनोबा

क्या उत्पादन बढ़ाने का भारत के पास यही मार्ग है कि वह जैव औद्योगिक का उपयोग करे?

जैव परिवर्धन (जैनेटिक मोडिफिकेशन) अर्थात् जीएमएफ ऐसी विद्या है जिसके द्वारा जैनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हुये किसी बाहरी जीव को किसी भी पौधे में कुछ विशिष्ट गुणों की प्राप्ति के हेतु कराया जाता है। यह विशिष्ट जीव किसी जानवर बैक्टीरिया, वायरस, मछली, प्राणी अथवा सूअर का भी हो सकता है। इसे पदार्थ की उत्पत्ति में वृद्धिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जीव में किसी विष की उपस्थिति से इन्कार नहीं किया जाता। बीटी कॉटन, बीटी बैंगन में बीटी बैक्टीरिया का जीन कीटनाशक के रूप में प्रवेश कराया जाता है।

देश में जैव परिवर्धन का नया दौर बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल (बैंगन) से प्रारम्भ हुआ। उत्पत्ति बढ़ी और साथ ही बाद में दुष्प्रभाव भी सामने आया। जी एम फसलों ने हमारी पृथ्वी (धरती) की ऊर्जा को धीरे-धीरे खत्म कर दिया। रोगों की वृद्धि, विशेषकर केंसर रोग की वृद्धि देखी गई। इनके पराग कण भी फसलों के लिये हानिकारक पाये गये। पर्यावरण को भी नुकसान हुआ। साधारणत: अनाज जो पैदा होता है वह बीज के रूप में लिया जाता है किन्तु जी एम फसल का बीज आगामी फसलों के लिये उपयोगी नहीं पाया गया। इसका परिणाम होगा विदेशी कम्पनी पर भारत को वहां के बीज पर ही निर्भर होना पडेगा। जी एम बीजों के लिये विदेशी कम्पनी मोनसेन्टो ने अपना साम्राज्य बना लिया था।

लगभग 15 वर्ष पहले विश्व के 400 वैज्ञानिकों ने अपना मत प्रकट किया था कि जी एम फसलों ने देश को नुकसान पहुंचाया है। लोकसभा की एक स्टेन्डिंग कमेटी को कृषि क्षेत्र में इस बाबत रिपोर्ट देने के हेतु नियत किया था उसने भी माना था कि जी एम फसल पर्यावरण को दूषित करती है और मानव व पशुओं के लिये अहितकर है। देश के कई संगठनों ने जैसे भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच आदि कई संस्थाओं ने इसका विरोध किया। श्री महेश भट्ट (सिने डायरेक्टर), देवेन्द्र शर्मा (विशेषज्ञ) व सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के संगठनों ने इस बाबत कई प्रश्न उठाये और मांग की कि इसे रोका जावे। जस्टिस दवे जो जजों के संगठन के अध्यक्ष रहे हैं और स्वयं लेखक ने उक्त लोगों के साथ विरोध किया। एक डॉक्यूमेन्टरी फिल्म *Poison on Palate' भी प्रदर्शित की।

यूरोपियन यूनियन मेक्सिको, इण्डोनेशिया आदि कई देशों ने जी एम बीजों के आयात पर रोक लगाई मोनसेन्टो कम्पनी पर मुकदमें भी किये गये। बीटी कॉटन के बीजों के कारण विदर्भ व आन्ध्र के कई किसानों ने आत्महत्या की। कर्नाटक व बिहार राज्यों ने भी विरोध किया। कई राज्यों ने मोनसेन्टो को फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं दी। देश के और राज्यों ने भी इसे नहीं अपनाया। धीरे-धीरे जी एम फसलें बंद सी हो गई किन्तु कई राज्यों में जी एम का खेल चलता रहा। कहीं जी एम चना तो कहीं जी एम सरसों के रूप में फिर फैलने लगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत के समय जी एम फसल के हेतु बम्बई में एक अनुबंध भी हुआ, किन्तु बाद में वह आपत्ति उठाने पर निरस्त भी हो गया।

कुछ समय से जी एम सरसों (Mustard) को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है व इस केस का शीर्षक है Aruna Rodrigues & Ors. vs Union of Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors. (WP (C) No.260/2015) Citation 2024 Live Law (SC) 501 इसमें Virender Gaur Vs State of Haryana के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत् Life शब्द के अन्तर्गत् Hygienic Environment को Right to a healthy life का अभिन्न अंग माना गया है और यह निर्णित किया है कि राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह पर्यावरण को इस स्थिति में रखें कि जीने की राह सुलभ हो। माननीय न्यायालय की जस्टिस बी वी नागरत्ना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 48 व अनुच्छेद 51क इस विचार का अनुमोदन करते हैं। दिनांक 23 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने जिसके न्यायाधीश बी वी नागरत्ना व जस्टिस संजय करोल रहे हैं, उन्होंने अपने अपने अलग निर्णय दिये हैं। जस्टिस बी वी नागरत्ना ने भारत सरकार के उस अप्रूवल आदेश को निरस्त कर दिया जो Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) ने Conditional Approval के रूप में दिया था जो Genetic Manipulation of Crop Plants के लिये अपेक्षित था। जिससे (Transgenic mustard hybrid 11 (DMH-11) की उत्पत्ति हुई। जहां यह लिखना समीचीन होगा कि जस्टिस करोल ने अप्रूवल की स्वीकृति दी थी माननीय कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिये कि इस संबंध में अर्थात् जी एम सरसों के हेतु क्या राष्ट्रीय पोलिसी होनी चाहिये इसे भारत सरकार सृजित करे तथा इस हेतु विशेषज्ञों की कमेटी से चर्चा करे। इस केस को अब बड्डी बैंच सुनेगी।

देश में जैव परिवर्धन का नया दौर बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल (बैंगन) से प्रारम्भ हुआ। उत्पत्ति बढ़ी और साथ ही बाद में दुष्प्रभाव भी सामने आया। जी एम फसलों ने हमारी पृथ्वी (धरती) की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर दिया। रोगों की वृद्धि, विशेषकर केंसर रोग की वृद्धि देखी गई। इनके पराग कण भी फसलों के लिये हानिकारक पाये गये। पर्यावरण को भी नुकसान हुआ।

जस्टिस नागरत्ना ने अपने निर्णय में विदेशी न्यायालयों में विभिन्न निर्णयों पर विचार किया, जिनमें न्यायालय के Judicial Review के अधिकार को स्वीकार किया है, जहां **Where potential risk of environmental danger existed" इस बाबत माननीया जस्टिस ने Supreme Court of Netherland in State of Netherland (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy) Vs Stitching Urgenda (2019) पर आधारित किया। उक्त केस में यह माना गया है कि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार विधायिका का है और Seperation of Power के बाद कोर्टस् का निर्णय साधरणत: नहीं होना चाहिये। इस केस में Hague District Court ने स्टेट में यह निर्देश दिया था कि वह Green House Gases का निस्तारण 2020 तक 25 प्रतिशत कम करे। इस केस में यह माना गया कि तकनीकी कारणों की कमी स्टेट को यह अधिकार नहीं देती कि वह अपने कर्त्तव्यों को निभाने से ही मना कर दे, पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। जस्टिस नागरत्ना ने एक रूस की केस पर भी विचार किया तथा स्टील फैक्ट्री यदि प्राइवेट व्यक्ति के जीवन पर विपरीत असर डालती है तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। Right to Health को अनुच्छेद 8, ELHR के अनुसार सुरक्षा दी जानी चाहिये। न्यायालय पार्लियामेन्टरी स्टेन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट पर भी विचार किया, जिसका उल्लेख ऊपर किया है। माननीया जज महोदया ने इस सिद्धान्त को माना कि Public Participation होना चाहिये और Regulatory Decisions पूर्णतया के साथ होना चाहिये तथा उनका वैज्ञानिक आधार होना चाहिये।

पार्लियामेन्टरी स्टेन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करते हुये यह माना और यह कहा गया है कि जी एम तकनीक एक बहुत एडवान्स टेक्नोलोजी है किन्तु 20 में 17 विकसित देश इसे पैदा नहीं करते। अधिकांश देश जी एम क्रॉप पैदा नहीं करते सम्भवत: इसमें रिस्क है, लाभ अधिक नहीं।

लगभग 15-20 वर्षों से जी एम फूड पर चर्चा हो रही है। अधिकांश देश इसको पैदा नहीं करते। भारत ने निश्चित रूप से इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। देश में अनाज की कमी नहीं है। इन दिनों मोटे अनाज को अधिक पैदा करने व उसका उपयोग करने पर अच्छी हेल्थ पाने तक की बात कही जा रही है जिसका प्रचार स्वयं पी एम मोदी कर रहे हैं फिर क्यों जी एम फूड की हम बात करें?

देश के नागरिकों के स्वास्थ्य का प्रश्न है और जी एम फूड में कहीं न कहीं खोट नजर आती है तो भारत क्यों इस ओर ध्यान दे? अपना अनाज सबसे अच्छा है। स्वास्थ्यवर्धक है।

भारत सरकार एक बड्डी तकनीकी कमेटी बनाकर इस विषय पर उसकी राय लेवे कि क्या जी एम फूड की देश को आावश्यकता है? क्या देश का अनाज आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थ है? क्या उसका इतना बड्डा लाभ है कि हम कुछ जिन्दगी की बलि भी देने को तैयार हैं? अनुभव यही कहता है कि मोनसेन्टो कम्पनी जी एम बीजों का ऐसा जाल फैला देगी कि हमारे देश की वही दशा होगी जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने की थी।

माननीय खण्डपीठ ने यह सही कहा है कि इस केस का बड्डी पीठ ही निर्णय करे। बड्डी पीठ कम से कम पांच जजों की होनी चाहिये। साथ ही त्वरित न्याय भी होना चाहिये। प्रश्न देश के अच्छे स्वास्थ्य का है। देश के नागरिकों की सुरक्षा का है। संसार के कई देश यह मानते है कि जी एम फूड जीवन के लिये हानिकारक है। संविधान के अनुच्छेद 48ए व 51ए व 21 में राज्य व प्रत्येक नागरिक के कर्त्तव्य हैं कि वे पर्यावरण को सुरक्षित रखें और प्राणी मात्र के प्रति करूणा भाव रखें।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

कोचिंग संस्थान

प्रो. अशोक कुमार

दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में पानी भर जाने से हुई छात्रों की मौत एक दुखद घटना है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा मानकों और आपदा प्रबंधन पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया है। कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में छात्रों को पढ़ाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा माना जा रहा है कि यह संस्थान अवैध रूप से बेसमेंट का उपयोग कर रहा था। दिल्ली में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे पानी कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में घुस गया। संभवत: भवन का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं था, जिसके कारण पानी के रिसाव और जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई। भारी बारिश के दौरान पानी का निकास न होने के कारण बेसमेंट में पानी भर गया। इमारत में आपातकालीन निकास मार्ग और अन्य सुरक्षा उपायों का अभाव था। नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले इस संस्थान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

नगर निगम को नियमित रूप से सभी इमारतों का निरीक्षण करना चाहिए और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सभी इमारतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सभी इमारतों में आपातकालीन निकास मार्ग और अन्य सुरक्षा उपाय अनिवार्य होने चाहिए। लोगों को सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण पहलू: कोचिंग संस्थानों का नियमन: कोचिंग संस्थानों को सरकार द्वारा कड़ाई से नियंत्रित किया जाना चाहिए। अग्निशमन विभाग को सभी इमारतों की सुरक्षा जांच करनी चाहिए। समाज को भी इस तरह की घटनाओं को रोकने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यह घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। हमें सभी को मिलकर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करने होंगे।

निवारण के उपाय– भवन निर्माण मानकों का सख्ती से पालन: सभी भवनों, खासकर सार्वजनिक और वाणिज्यिक भवनों का निर्माण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। शहर में जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या न आए। सभी सार्वजनिक और वाणिज्यिक भवनों में आपातकालीन योजनाएं बनाई जानी चाहिए और नियमित रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए। सभी भवनों में सुरक्षा उपकरण जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एक्जिट आदि उपलब्ध होने चाहिए।

भवनों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की खामी को समय रहते दूर किया जा सके। लोगों को आपदाओं के समय सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। ऐसे संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते हैं। स्थानीय प्रशासन को कोचिंग संस्थानों का नियमित निरीक्षण करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। इस घटना में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सरकार को पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद प्रदान करनी चाहिए।

दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुई घटना के राजनीतिक पहलू

दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में हुई इस दुखद घटना के राजनीतिक पहलू काफी गहरे हैं। इस घटना ने कई राजनीतिक दलों को एक-दूसरे पर आरोप लगाने का मौका दिया है। इस घटना के कुछ प्रमुख राजनीतिक पहलू निम्नलिखित हैं:–

इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कुछ दल नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो कुछ दल राज्य सरकार को। कुछ राजनीतिक दल इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस घटना को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना से जनता में काफी गुस्सा है। लोग सरकार से जवाबदेही चाहते हैं। राजनीतिक दल इस गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने नियमों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा किया है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक दल सरकार को सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए दबाव बना रहे हैं।

यह कहना होगा कि इस घटना ने एक बार फिर हमें यह याद दिला दिया है कि राजनीति और प्रशासन को जनता के हित में काम करना चाहिए।

दिल्ली के कोचिंग संस्थान की घटना से सीख

इस घटना से हम सभी को यह सीख मिलती है कि जीवन की कीमत किसी भी चीज से अधिक है! हमें हमेशा अपनी और दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार और प्रशासन को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना होगा। यह घटना एक सबक है कि हमें सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए।

निष्कर्ष:– यह घटना एक बड़ी त्रासदी है और इसने हमें सुरक्षा के महत्व को समझाया है। हमें इस घटना से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी मिलकर इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और सरकार को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करें।

–प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय

कोचिंग संस्कृति में सुधार की जरूरत महसूस होने लगी है

राजेन्द्र जोशी

देश में नई शिक्षा नीति 2020 हमारे बीच आ चुकी है। अभी लागू होनी है, अनेक प्रदेश इस पर विचार कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के परिणामों पर शिक्षाविद और राज्य सरकारें विचार भी कर रही हैं। शिक्षा में जरूरी सुधार करने का यह समय है। उसके साथ ही साथ शिक्षा में उद्योग बन चुके कोचिंग केन्द्रों पर इस समय सभी की नजर टिकी हुई हैं। देश भर में कोचिंग केंद्र बड़ा उद्योग बन चुके हैं। अधिकांश विद्यार्थी नियमित विद्यालयों में जाना ही नहीं चाहते और वह दिन भर कोचिंग में रहकर पढ़ना चाहते हैं। वह पढ़ना चाहे या ना चाहे लेकिन विद्यार्थियों के अभिभावक उन्हें कोचिंग संस्कृति में बेजा तरीके से धकेल रहे है। दूसरी तरफ कोचिंग केंद्र भी ज्यादा से ज्यादा छात्रों को अपने केन्द्र पर ठूसना चाह रहे हैं। चाहे बिठाने का समुचित स्थान हो या ना हो। उस केंद्र में विद्यार्थी ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन अभिभावक और कोचिंग केंद्र के संचालक इस पर एकमत है कि किसी भी प्रकार बच्चा कोचिंग केंद्र में भर्ती हो जाए।

बरसों से कोचिंग केन्द्रों पर लगाम लगाने हेतु आचार संहिता बनाने, अनैतिकता पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। लेकिन सरकार है कि वे इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। शासन-प्रशासन इस बात को जानता है कि विद्यार्थी का नाम सरकारी स्कूल में लिखा जाता है और दिनभर विद्यार्थी कोचिंग के मकड़जाल में फंसा रहता है, सरकार को चाहिए कि कोचिंग केंद्र को विद्यालय की मान्यता दे दे और नियमानुसार विद्यालय संचालित करने के कायदे-कानून की पालना की जाए। जिससे कोचिंग की अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्योंकि अब तक कोचिंग केन्द्रों के संचालन हेतु किसी भी प्रकार के नियम नहीं बनाए गए। कोचिंग सेंटर के कक्षा कक्ष कैसे होंगे, उसका आकार क्या होगा, उसके अध्यापक कैसे होंगे। कोचिंग उद्योग में सुधार की जरूरत है। यह उद्योग इतना फैल चुका है कि अब सरकार इसे बंद करने की स्थिति में भी नहीं है। क्योंकि कोचिंग उद्योग से रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, बेरोजगारी पर लगाम लग रही है, परंतु शिक्षा की मजबूत बुनियाद तैयार नहीं हो रही। कोचिंग उद्योग में व्यक्तित्व विकास की किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती, वहां तो सौ नंबर का खेल है, कैसे आए इसकी व्यवस्था की जाती है।

यह बड़ी विडंबना है कि अधिकतर अभिभावक कोचिंग केंद्र में ऐडमिशन मात्र से संभावनाएं टटोलने लगते हैं। विद्यार्थी वहां किस तरह पढ़ रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या बना रही हैं, अभिभावक उस पर ध्यान नहीं देते। अनेक अभिभावक तो कोचिंग केंद्र में प्रवेश मात्र से ही सपने पालने लगते है। परंतु जब विद्यार्थी अभिभावकों की इच्छा पूरी नहीं कर पाने के कारण खुद को मौत के मुंह में भी धकेल देते हैं। इतिहास गवाह है कि विद्यालयों में पढ़ते हुए विद्यार्थी अनहोनी की करने की सोच-विचार नहीं रखते। सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए की कोचिंग उद्योग के अंधेरी सुरंग में फंसे विद्यार्थियों को किस प्रकार मुक्त करवाया जाए। कोचिंग उद्योग के लिए आचार संहिता बनाई जाए, समाज पर हो रहे शोषण पर किस प्रकार रोक लगाई जाए, अगर अभी यह ना हुआ तो कोचिंग उद्योग की बेजा मनमानी देश के लिए सर दर्द बनती जायेगी।

–राजेन्द्र जोशी,
साहित्यकार - शिक्षाविद

वरिष्ठ पत्रकार डॉ. अनुभा जैन ने फैशन डिजाइनर अनीता डोंगरे को वुमन लीडरशिप पर लिखी कॉफी टेबल बुक भेंट की

राजस्थान की वरिष्ठ पत्रकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमन विंग (फिक्की फ्लो) बेंगलुरु चैप्टर की सदस्य डॉ. अनुभा जैन ने प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर अनीता डोंगरे को अपनी कॉफी टेबल बुक वुमन लीडर्स इन राजस्थान लेजिस्लेचर-सिंस 1952 भेंट की। यह पुस्तक 1952 पहली राजस्थान विधानसभा से 14वीं विधानसभा तक राजस्थान की महिला विधायकों और महिला राज्य मंत्रियों की राजनीतिक यात्रा का वृत्तांत प्रस्तुत करती है। यह राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में कई दिग्गजों की समझ और कामकाज पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है।

पुस्तक में जिन मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, उनमें संसद और राज्य विधानसभाओं में 33प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक, लिंग आधारित असहिष्णुता, और महिलाओं से संबंधित विकास संबंधी मुद्दे शामिल हैं। राजस्थान की राजनीति में प्रमुख महिला नेताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अन्य पेशेवर क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आमने-सामने बातचीत के माध्यम से इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार प्राप्त किए गए हैं।

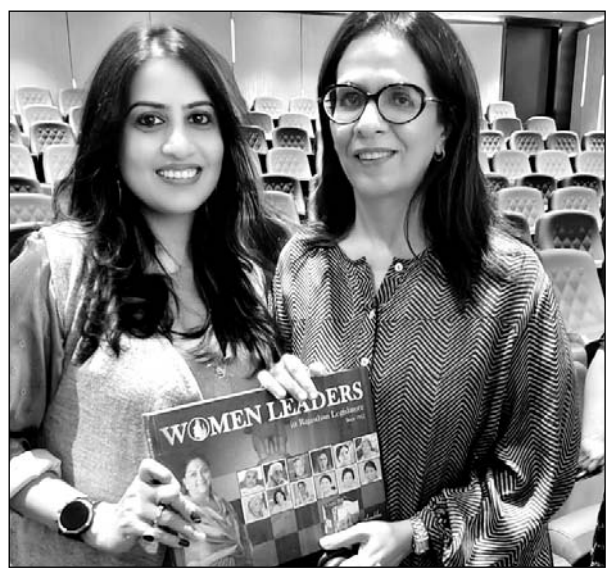

वरिष्ठ पत्रकार डॉ. अनुभा जैन ने अनीता डोंगरे को कॉफी टेबल बुक भेंट की।

डॉ. अनुभा जैन के साथ अपनी बातचीत के दौरान अनीता ने उनके करियर के शुरुआती दौर में आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में बात करते हुये कहा कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया, तो मुझे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की बल्कि इस बात का फायदा उठाया। आज महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा समय है। जब डॉ. अनुभा ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक सटीक सलाह के बारे में पूछा, तो अनीता ने कहा कि दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और अपने सपनों को कभी न छोड़ना ही कुंजी है।

उन्होंने कहा, 15 साल की उम्र में, मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी और जब मैं अपने कॉलेज के पहले दिन एसएनडीटी कॉलेज गई तो मुझे एहसास हुआ कि यह वही जगह है जहां मैं जाना चाहती थी। बिना किसी मार्केट रिसर्च के, अनीता अपनी इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग पर विश्वास करती है। जब डॉ. अनुभा ने उनके कलेक्शन के पीछे के विचार के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, मैं रोज़मर्रा के लिए ऐसे कपड़े डिज़ाइन करती हूँ, जिन्हें हर कोई पहनना चाहता है।

अपने ब्रांड 'एंड' को 'एंड' नाम कैसे मिला, इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 'एंड' कोई संक्षिप्त नाम या एब्रिवेशन नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा शब्द है। 'एंड' की यात्रा के बारे में बात करते हुए अनीता ने कहा, भारतीय महिलाएं आधुनिक हो गयी हैं और पेशेवर बन गई हैं। आज की महिलाएं अलग तरह से कपड़े पहन रही हैं। लोग विदेश जाते थे और वहां से कपड़े खरीदते थे। मुझे तब एहसास हुआ कि हमारे देश में यह सब क्यों नही और भारत के लोगों की पसंद के हिसाब से पहने जाने वाले कपडे क्यों नहीं और यही वजह है कि मैंने अपना ब्रांड 'एंड' लॉन्च करने का फैसला किया। शुरुआत में मुझे कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय किया और अपने कलेक्शन पर भरोसा किया। 25 साल पहले, मैंने मुंबई के क्रॉसरोड्स मॉल में अपना पहला स्टोर खोला। उसके बाद, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कहा, मैं गुलाबी नगर जयपुर राजस्थान से जुड़ी हुई हूँ, और राजस्थान के जीवंत रंगों और वहाँ के लोगों के मूड को देखकर, मेरा प्रसिद्ध ब्रांड 'ग्लोबल देसी' इस स्थानीय इच्छा के साथ वास्तविकता में आया। 11 साल पहले, दुल्हन के कपड़े पहनने में बहुत आरामदायक नहीं थे और उन पर बहुत ज़्यादा कढ़ाई होती थी। इसलिए, मैंने अनीता डोंगरे ब्राइडल वियर के नाम से एक भारतीय दुल्हन के लिए आरामदायक ब्राइडल वियर बनाया।

राशिफल शुक्रवार 2 अगस्त, 2024

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, आर्द्रा नक्षत्र दिन 10:59 तक, हर्षण योग दिन 11:45 तक, वणिज करण दिन 3:27 तक, चन्द्रमा शनिवार प्रात: 5:41 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-वृष, बुध-सिंह, गुरू-वृष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 10:59 से सूर्योदय तक है। आज भद्रा दिन 3:27 से रात्रि 3:39 तक रहेगी। आज मास शिवरात्रि है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:35 तक, लाभ-अमृत 7:35 से 10:54 तक, शुभ 12:33 से 2:12 तक, चर 5:31 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:56, सूर्यास्त 7:10

मेष
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तिय मामलों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कुंभ
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है। चलते व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मीन
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है।